न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2016 G.C.M.S. No. 2016/00574 दर्ज दिनांक : 14.01.2016

अपीलार्थिगण :–

1. भीमाराम पुत्र चिमनाजी उम्र 62 वर्ष
2. थानाराम पुत्र चिमनाजी उम्र 58 वर्ष, जातिगण सुथार, निवासीगण तखतगढ, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगणः–

1. चतराराम पुत्र ईदाजी, जाति कुम्हार, निवासी सैनिक कॉलोनी, तखतगढ, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. चिमनाराम पुत्र ईदाजी, जाति कुम्हार, निवासी धोरावास, तखतगढ, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

(मोहर: राजस्व अपील प्राधिकारी पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलार्थिगण
2. सरकारी पैरोकार प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07/10/2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2011 बअनवान चतराराम बनाम चिमनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया, जो संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर के पुराने खसरा नंबर 131 रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 168 रकबा 7 बीघा किस्म जवाई द्वितीय कुल रकबा 120 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के अनुसार खातेदार चिमना, तारा, धन्ना पिसरान् खुमा 1/4 ओटा, किशना, फुला पिसरान् नवा 1/4 भूरा, प्रेमा, भुबा पिसरान् भावा 1/4 कौम सुथार [illegible] 1/4 कौम कुम्हार सा. देह के नाम से आई हुई हैं। उक्त रेकर्ड अनुसार रेस्पो[illegible] 1 व 2 पुराना खसरां नंबर 113 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर [illegible] हिस्से के खातेदार है अर्थात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त सम्पूर्ण भूमि में 1/8 वां हक–हिस्सा बन[illegible] रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 का पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार अपने–अपने हक–हिस्से पर कब्जाकाश्त है। दौराने सेटलमेंट उक्त पुराने खसरा नंबर 131 रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:48:38 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

कब्जाकाश्त है। दौराने सेटलमेंट उक्त पुराने खसरा नंबर 131 रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नंबर 216, 217, 218, 512, 513, 514, 515 व 516 बनें। इसी तरह पुराने खसरा नंबर 168 के नये खसरा नंबर 503, 236, 237, 238 व 239 बने। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संपूर्ण भूमि पूर्व रेकर्ड अनुसार व बंट अनुसार हाल खसरा नंबर 218, 513, 514 व 238 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के आपसी बंटवाड़े अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपनी 1/2 वां हक–हिस्से की कृषि भूमि रकबा 2.21 हैक्टेयर को क्रमशः दिनांक 28.08.1981 एवं 19.08.2011 को जरिये विक्रय विलेख बेच चुका है। जो वर्तमान रेकर्ड अनुसार अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने हक–हिस्से रकबा 2.21 में से रकबा खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेयर की कृषि भूमि बेच चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई हक–हिस्सा शेष नहीं बचा है। मात्र रेकर्ड में नाम दर्ज है जो हटाने योग्य है। अपीलांट द्वारा खरीद भूमि खसरा संख्या 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा संख्या 514 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहे वाद की वादग्रस्त भूमि होने से अपीलांट भी प्रभावित पक्षकार है। जिसे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। लेकिन अपीलांट्स को वादपत्र में पक्षकार संयोजित नहीं कर तथ्यों को छुपाकर वादपत्र का एकतरफा निस्तारण करवाया, जो विधिविरूद्ध है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 काबिल खारिज है।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि सरहद मौजा तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा नंबर 514 रकबा 0.36 हैक्टेयर की कृषि भूमि नियमानुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीद की हुई हैं। उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के नाम इन्द्राज हो रखा है एवं अपीलाण्ट्स खरीदशुदा हक–हिस्से के भाग पर वर्तमान में काबिज होकर शांतिपूर्ण रूप से काश्त करते आ रहे हैं। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहे वाद में प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। जबकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खरीदशुदा, कब्जेशुदा खातेदार है। अतः अपीलाण्ट्स प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति फरमाई जावें।

अपीलाण्ट्स द्वारा हस्तगत अपील के साथ धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स दिनांक 15.12.2015 को पटवारी हल्का तखतगढ के पास के.सी.सी. प्राप्त करने हेतु अपनी खातेदारी खसरा संख्या 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा संख्या 514 रकबा 0.36 हैक्टेयर की नकल लेने हेतु गए, तब उक्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 की जानकारी हुई। जिसके बाद संबंधित न्यायालय व उपपंजीयक कार्यालय में नकलों हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की तथा बिना विलंब किए अधिवक्ता से ... सलाह लेकर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतः अपील ... कारण है। अतः देरी को क्षमा करते हुए प्रार्थी की अपील दर्ज किया जाना ...।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स ने वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर के हाल खसरा नंबर 513 रकबा 1.85 हैक्टेर, खसरा नंबर 514 रकबा 0.36 हैक्टेर भूमि नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की गई हैं। अपीलांट्स उपरोक्त क्रयशुदा भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट्स की क्रयशुदा भूमि के संबंध में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, इस प्रकार जैर अपील निर्णय व डिक्री से अपीलांट्स प्रथम दृष्टया व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। उपरोक्त तथ्यों के आधार अपीलांट्स को श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं तो अपीलांट्स अपने हक–हकूक अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम रह जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें, साथ ही धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स को वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के क्रेता एवं खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार थें। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2015 को होने तथा बिना किसी विलंब के पूर्ण तत्परता से अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलांट द्वारा जानबूझकर एवं उपेक्षापूर्ण रूप से कोई विलंब नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल माफ किया जाना न्यायसंगत होगा।

इसके पश्चात विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 218 रकबा 0.47 हैक्टेर, खसरा नंबर 514 रकबा 1.70 हैक्टेर, खसरा नंबर 513 रकबा 1.84 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में स्वयं का 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पुराने खसरा नंबर 168 रकबा 7 बीघा मे स्थिति अपने 1/4 वां हक–हिस्से की भूमि का बेचान करने का कही पर भी जिक्र नही किया गया एवं जिसके बेचान व मौके अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेर बने। इस प्रकार उपरोक्त बेचानशुदा भूमि आपसी पारिवारिक सेटलमेंट से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 चतरराम के हक–हिस्से में आई हुई थीं। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की संपूर्ण भूमि पूर्व रेकर्ड अनुसार व वर्तमान अनुसार हाल खसरा नंबर 218, 513, 514 व 238 कुल रकबा 4.42 हैक्टेर की भूमि होती हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के आपसी बंटवाडा अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने 1/2वां हक–हिस्से की भूमि रकबा 2.21 हैक्टेर को जरिये विक्रय–विलेख बेच चुका है, जो वर्तमान रेकर्ड अनुसार अपीलांट्स की खातेदारी मे दर्ज है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने हक हिस्से की भूमि रकबा 2.21 हैक्टेर मे से खसरा नंबर 238 रकबा 0.40 हैक्टेर भूमि बेच चुका है एवं मौके पर आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वर्तमान खसरा नंबर 514 रकबा 1.34 हैक्टेर एवं खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

218 रकबा 0.47 हैक्टेर कुल रकबा 1.81 हैक्टेर पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार से कोई हक–हिस्सा शेष नही रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 केवल मात्र अपीलांट्स की क्रयशुदा भूमि को हड़पने की मंशा से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट्स की क्रयशुदा भूमि के संबंध में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस में प्रकट तथ्यों, कथनों एवं विधिक प्रावधानों को सम्मानपूर्वक सुना एवं उस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं हस्तगत अपील की पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रकरण में हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करना आवश्यक समझते हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 में मौजा तखतगढ, तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 218, 513, 514 की आराजी वादग्रस्त आराजी थी। प्रार्थीगण खसरा संख्या 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा नंबर 514 रकबा 0.36 हैक्टेयर आराजी के दिनांक 28.08.1981 एवं 19.08.2011 के पंजीबद्ध विक्रय–विलेख से क्रेता है तथा उक्त खसरान् के अभिलिखित खातेदार है। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार कोई टिप्पणी या अभिमत प्रकट किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार प्रकरण में आवश्यक हित रखता है तथा अभिलिखित खातेदार को सुना जाना आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट्स हस्तगत अपील में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। उक्त प्रार्थना पत्र इसी मुताबिक निर्णित किया जाता है।

2. अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह प्रकट किया गया कि हस्तगत अपील में विवादित आराजी के खसरा संख्या 513 व 514 का वे अभिलिखित खातेदार है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 की उन्हें वक्त निर्णय जानकारी नहीं होकर दिनांक 15.12.2015 को विवादित आराजी की हल्का पटवारी से जमाबंदी नकल अवेदन करने पर जानकारी हुई अतः अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया है। पत्रावली अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2016 को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 14.01.2016 को दर्ज की गई। इस प्रकार हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री के प्रकरण में इन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था इसलिए निर्णय दिनांक से अपील म्याद की गणना किया जाना उचित नहीं होगा। अतः यह विश्वास किये जाने का पर्याप्त कारण है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 15.12.2015 को हुई थी। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारवान होने एवं भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील में हुए विलंबकाल को माफ किया जाता है।

3. अपील से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी चतराराम पुत्र ईदाजी द्वारा प्रतिवादी चिमनाराम पुत्र ईदाजी के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया। वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई है एवं ग्राम तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा संख्या 514 रकबा 1.70 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 218 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर दोनो सगे भाईयों की पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि थी। खसरा संख्या 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर को प्रतिवादी चिमनाराम ने दिनांक 28.08.1981 को थानाराम, भीमाराम वल्द चिमना को बेचान कर दी। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.08.2011 को खसरा संख्या 514 रकबा 1.70 हैक्टेयर में से 0.36 हैक्टेयर भूमि थानमल पिता चिमनाजी सुथार को बेचान कर दी। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या 513 व 514 में से कुल 2.21 हैक्टेयर भूमि जिसमें खसरा संख्या 513 का सम्पूर्ण रकबा 1.85 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 514 के रकबा 1.70 में से 0.36 हैक्टेयर, बेचान कर दी एवं बाद बेचान कुल 1.81 हैक्टेयर भूमि शेष रही। जिसमें से खसरा संख्या 218 की 0.47 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 514 में से 1.34 हैक्टेयर भूमि रही। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा निहित था। जिसके अनुसार तीनों खसरान् की कुल भूमि 4.02 हैक्टेयर में से प्रत्येक के हिस्से में 2.01–2.01 हैक्टेयर भूमि आती हैं। इस प्रकार प्रतिवादी चिमनाराम पुत्र ईदाजी द्वारा अपने हक–हिस्से की कुल भूमि 2.01 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर अपने हक–हिस्से से अधिक अर्थात 2.21 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया जोकि उसके हिस्से से 0.20 हैक्टेयर अधिक है। यह अभिलेख से स्पष्ट है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलाधीन प्रकरण के प्रतिवादी चिमना पुत्र ईदाजी से क्रय की गई थीं तथा बेचाननामा के आधार पर नामांतरण होकर जमाबंदी में नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट जोकि क्रेता है, के हक एवं अधिकार प्रतिवादी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 चिमना पुत्र ईदाजी जोकि विक्रेता है, के हक एवं अधिकारों से अधिक नहीं हो सकते, अर्थात इनके हक एवं अधिकार विक्रेता के हक एवं अधिकार से आच्छादित है। यह भी सुस्पष्ट है कि किसी भी विक्रेता को अपने हक–हिस्से एवं अधिकार से अधिक विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होता तथा हिस्से से अधिक किया गया विक्रय आरंभतः शून्य होता है।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.06.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्णय में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि "सरहद मौजा तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 218 रकबा 0.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 514 रकबा 1.07 हैक्टेयर व खसरा नंबर 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर कि किस्म नहरी प्रथम भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी व सामलाती कृषि भूमि थी जिसमें से खसरा नंबर 513 रकबा 1.85 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 1 चिमनाराम ने दिनांक 28.08.1981 को थानाराम, भीमाराम वल्द चिमनाजी कौम सुथार को बेचान कर दी, तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 चिमनाराम ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19.08.2011 को खसरा नंबर 514 रकबा 1.70 हैक्टेयर में से 0.36 हैक्टेयर भूमि थानमल पुत्र चिमनाजी कौम सुथार को जरिये विक्रय–विलेख बेचान कर दी।" इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि आक्षेपित निर्णय एवं प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय के यह संज्ञान में था तथा यह अभिलेख पर था कि वादग्रस्त भूमि में से वाद दायर होने से पूर्व ही पंजीकृत बेचान हुए हैं तथा क्रेता एवं अपीलांट्स के नाम नामांतरण होकर जमाबंदी में नाम दर्ज भी हो चुके हैं। इस प्रकार अपीलांट्स आक्षेपित प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थें, जिन्हें पक्षकार संयोजित किया जाकर सुना जाना कानूनन आवश्यक था। लेकिन वादी द्वारा पूर्ण तत्परता एवं जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया एवं अपीलांट्स पंजीकृत क्रेता एवं अभिलिखित खातेदार होने के बावजूद इनकी पीठ के पीछे निर्णय किया गया। जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता।

6. अतः हमारे विनम्र अभिमत में निष्कर्षतः अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के पंजीकृत बेचान से क्रेता एवं अभिलिखित खातेदार होने के बावजूद विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 80/2011 में पक्षकार संयोजित नहीं करने, सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारान को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देने, विवाद्यक विरचित किए बिना एवं समुचित साक्ष्य के अभाव में वादपत्र निर्णित करने एवं अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील भली–भांति साबित करने एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा इसे नासाबित करने में असफल रहने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत वाद संख्या 80/2011 बअनवान वादीगण चतराराम बनाम प्रतिवादीगण चिमनाराम वगैरह में विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 को अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार संयोजित करते हुए संबंधित से विधिअनुरूप जवाब प्राप्त किया जाकर प्रकरण में विवाद्यक विरचित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य, रक्षा–प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करें, पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 राजस्व वाद संख्या 80/2011 बअनवान वादीगण चतराराम बनाम प्रतिवादीगण चिमनाराम वगैरह भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर जिला पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 अपास्त की जाकर प्रकरण उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुमेरपुर जिला पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर संबंधित से विधिअनुरूप जवाब प्राप्त किया जाकर प्रकरण में विवाद्यक विरचित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य, रक्षा–प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner